



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-259

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 280215 दिनांक 02/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vijay Laxmi Dhaked W/o Kailash Chand Dhaked	हंसेश्वर गिरी पुत्र श्री ऋषि गिरी	101B	200.20 SQ. METER	JDA	CHAK GATORE (KH. NO. 100,101) Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका विजय लक्ष्मी धाकड पत्नी कैश चन्द धाकड द्वारा जविप्रा की योजना चक गैटोर के खसरा नम्बर 100 एवं 101 के भूखण्ड संख्या 101बी क्षेत्रफल 200.20 व.ग. का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है। महन्त हंसेश्वर गिरी पुत्र श्री ऋषि गिरी को ग्राम चक गैटोर में खसरा नं. 101 में स्थित आवासीय भूखण्ड सं. 101 पार्ट ए क्षेत्रफल 350.00 व.ग. का पट्टा विलेख दिनांक 01.07.2013 को जारी किया गया। परन्तु उक्त भूखण्ड अन्य व्यक्ति को आवंटित होने से





## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बेचान दिनांक  
23.04.2025 को  
भूखण्ड सं. 101बी  
क्षेत्रफल 200.20  
व.ग. का लालचंद  
यादव पुत्र राम  
नाथ यादव द्वारा  
विजय लक्ष्मी  
धाकड पत्नी  
कैलाश चंद धाकड  
को कर दिया  
गया। प्रश्नगत  
भूखण्ड के संबंध  
में निवेदन है कि  
पूर्व में सीसीसी  
क्रमांक 169824  
के पैरा 17/एन पर  
उक्त भूखण्ड को  
मंदिर हेतु आवंटन  
होना बताया गया  
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vijay Laxmi Dhaked W/o Kailash Chand Dhaked को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |